न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 8/2026

कमलेश पुत्र रामकुवार, जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।
——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज0)
——रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, गुढ़ागौड़जी दिनांक 26.12.2025 उनवानी सरकार बनाम कमलेश मुकदमा संख्या 266/2025 अन्तर्गत धारा 91(6) राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थित :—

1. श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.03.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 26.12.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विरुद्ध विधि तथा खिलाफ पत्रावली है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 26.12.2025 पारित किया है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचना किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 26.12.2025 पारित किया है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 26.12.2025 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश करने से पूर्ववर्ती आदेश द्वारा बेदखली किया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ववर्ती आदेश के जरिये अपीलार्थी को कब बेदखल किया गया उसका कोई विवरण अंकित नहीं है उक्तानुसार उक्त बेदखल के विवरण के बिना जो आक्षेपित आदेश पारित किया है वह विधि विरुद्ध है। स्वीकृत रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वह धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण की पत्रावली के संलग्न नोटिस में भी यही अंकित किया गया है उक्त धारा के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु उक्त धारा के अन्तर्गत अगर प्रकरण प्रमाणित माना जाता है तो अधनीस्थ न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी को आदेश पारित कर सकता था जिसमें बाद अनुसंधान अगर अपराध प्रमाणित माना जाता है तो सक्षम न्यायालय न्यायिक दण्डनायक के यहां चालान पेश किया जाता लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों से विपरीत जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय में अंकितानुसार भूमि खसरा नं0 178 पर संवत 2082 में अतिकमण करना जाहिर किया है क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी/अपीलार्थी की पैत्रिक काश्त की भूमि है तथा जिस पर अपीलार्थी के परिवार का कब्जा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व का है उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विधि विरुद्ध तथा निरस्त होने योग्य है अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा बाबत वादपत्र माननीय सक्षम

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं के यहां पेश कर रखा है जिसको माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं द्वारा दर्ज रजिस्टर करके तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से रिपोर्ट बाबत आदेश पारित किया है उक्तानुसार प्रकरण सबज्यूडिस होने के कारण नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को उक्त बाबत आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था, उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विधि विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थी के विपरित झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका रिपोर्ट अपठनीय है, उक्तानुसार बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 26.12.2025 उनवानी सरकार बनाम कमलेश मुकदमा सं0 266/2025 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान् न्याय हित में एवं अपीलार्थी के पक्ष में वह भी पारित करने की कृपा करावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विरुद्ध विधि तथा खिलाफ पत्रावली है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 26.12.2025 पारित किया है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचना किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 26.12.2025 पारित किया है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 26.12.2025 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश करने से पूर्ववर्ती आदेश द्वारा बेदखली किया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ववर्ती आदेश के जरिये अपीलार्थी को कब बेदखल किया गया उसका कोई विवरण अंकित नहीं है उक्तानुसार उक्त बेदखल के विवरण के बिना जो आक्षेपित आदेश पारित किया है वह विधि विरुद्ध है। स्वीकृत रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वह धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण की पत्रावली के संलग्न नोटिस में भी यही अंकित किया गया है उक्त धारा के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु उक्त धारा के अन्तर्गत अगर प्रकरण प्रमाणित माना जाता है तो अधनीस्थ न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी को आदेश पारित कर सकता था जिसमें बाद अनुसंधान अगर अपराध प्रमाणित माना जाता है तो सक्षम न्यायालय न्यायिक दण्डनायक के यहां चालान पेश किया जाता लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों से विपरीत जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय में अंकितानुसार भूमि खसरा नं0 178 पर संवत 2082 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी/अपीलार्थी की पैत्रिक काश्त की भूमि है तथा जिस पर अपीलार्थी के परिवार का कब्जा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व का है उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विधि विरुद्ध तथा निरस्त होने योग्य है अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा बाबत वादपत्र माननीय सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं के यहां पेश कर रखा है जिसको माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं द्वारा दर्ज रजिस्टर करके तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से रिपोर्ट बाबत आदेश पारित किया है उक्तानुसार प्रकरण सबज्यूडिस होने के कारण नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को उक्त बाबत आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था, उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विधि विरुद्ध है तथा

जिला कलक्टर झुंझुनूं

निरस्त होने योग्य है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थी के विपरित झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका रिपोर्ट अपठनीय है, उक्तानुसार बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का कब्जा कश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्ट शपथ पत्र पेश करने को तैयार है। अतः अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 26.12.2025 उनवानी सरकार बनाम कमलेश मुकदमा सं0 266/2025 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान् न्याय हित में एवं अपीलार्थी के पक्ष में वह भी पारित करने की कृपा करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम नाटास स्थित भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 5.83 है0 किस्म गैर मुमकिन बंजड 2, ख0नं0 168 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 167 रकबा 0.91 है0 किस्म गै0मु0 नदी मे से 1.10 है0 जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम नाटास स्थित भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 5.83 है0 किस्म गैर मुमकिन बंजड 2, ख0नं0 168 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 167 रकबा 0.91 है0 किस्म गै0मु0 नदी मे से 1.10 है0 जमीन पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि उनके द्वारा विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्ट ने शपथ पत्र भी पेश करने को तैयार है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.12.2025 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है या नही हटाया है इस बाबत जांच की जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील अपीलान्ट स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं